हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

सप्तम् सत्र

बुधवार, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण,1936 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, अनुसन्धान अधिकारी, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:पी0एल0जी0-ए(3)-2/2010 (अनुसन्धान अधिकारी/डीएसओ/संख्याविद्ध) दिनांक 30.01.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.11.2014 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश योजना विभाग, अनुसन्धान अधिकारी, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:पीएलजी-बी(2)-1/2013 दिनांक 10.11.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.11.2014 को प्रकाशित ।

(2) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 12(2)(ई), 24(5)(सी), और 40(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसरण में उचित मूल्य की दुकाने खोलने हेतु जारी दिशा-निर्देश जोकि अधिसूचना संख्या:एफडीएस-एफ(10)-06/2012-शिमला दिनांक 02.08.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.08.2014 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

1. **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **75वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **76वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **77वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 9वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित है;

(iv) समिति के **175वें मूल प्रतिवेदन** (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **कृषि विभाग** से सम्बन्धित है; और

(v) समिति के **157वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 248वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है ।

2. **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का सप्तम् मूल **प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में **वन विभाग** द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है;

(ii) समिति के **26वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 39वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के **प्रथम् मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना तृतीय कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **कृषि विभाग** से सम्बन्धित है ।

3. **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **29वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11(वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या:3.5 व 3.6 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित; और

(ii) समिति का **30वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 6वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पब्बर घाटी विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है ।

4. **श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का **नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 29वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

5. **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का **दशम् मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

6. **श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति का **10वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:</u>

(1) **श्री राम कुमार,** नालागढ़ में दिनांक 7 दिसम्बर, 2014 को हुई युवक की सनसनीखेज हत्या से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(2) **श्री सुरेश भारद्वाज,** दिनांक 9 दिसम्बर, 2014 को कार्टरोड, शिमला में मैट्रोपोल विधायक सदन के नीचे 10 मीटर के लगभग सड़क के टुट जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. <u>विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:</u>

कार्य-सलाहकार समिति का षष्टम् प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा ।

6. <u>विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव:</u>

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 19 फरवरी, 2014 को सदन में पुर:स्थापित हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 6) को वापिस लिया जाए ।

7. <u>विधायी कार्य :</u>

(I) <u>सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना</u>

(i) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि उच्चतर शिक्षा के लिए अभिलाषी विश्वविद्यालय चैल चौक, तहसील चच्योट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनयमन करने तथा इसके क्रियाकलापों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014

(2014 का विधेयक संख्यांक 14)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(ii) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए विधि को समेकित और पुन: अधिनियमित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014

(2014 का विधेयक संख्यांक 15)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(iii) श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्यांक 16)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(II) <u>सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

(i) श्री जी0एस0 बाली0, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य में, तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन करने के लिए विधि को पुन: अधिनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014

(2014 का विधेयक संख्यांक 13)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(ii) श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि दीर्घकालिक योजना, निगमित शासन प्रणाली विनियामक अनुपालन के क्षेत्रों में वित्तीय पुनर्गठन धारणीय आधार पर समर्थन के माध्यम से उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत प्रदाय को समर्थ बनाने के लिए राज्य के स्वामित्वाधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय और प्रतिचालन प्रतिवर्तन तथा दीर्घकालिक धारणीयता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के उत्तरदायित्वों तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक नीति निदेशों और विभिन्न अन्य उपाय अधिकथित करने हेतु उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014

(2014 का विधेयक संख्यांक 10)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(iii) श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014

(2014 का विधेयक संख्यांक 8)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(iv) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर(संशोधन) विधेयक, 2014

(2014 का विधेयक संख्यांक 11)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

8. <u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :</u>

(1) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल (5-भटियात),** भटियात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कुछेक नामत: सड़कों/सम्पर्क मार्गों के बन्द पड़े निर्माण कार्य को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(2) **श्री रविन्द्र सिंह (10-देहरा),** भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पुलिस स्टेशन पालमपुर-शीतला माता मन्दिर राष्ट्रीय उच्च मार्ग व इस पर निर्मित होने वाले पुल का निर्माण जनहित में शीघ्रातिशीघ्र करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(3) **श्री महेश्वर सिंह (23-कुल्लू),** जिला कुल्लू में कुछेक नामत: बस रूटो पर शीघ्रातिशीघ्र पुन: बस सेवा उपलब्ध करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(4) **श्री कृष्ण लाल ठाकुर (51-नालागढ़),** प्रदेश में खन्न पर लगी रोक से उत्पन्न स्थिति बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

9. <u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :</u>

(1) **श्री महेन्द्र सिंह,** प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे"

(2) **श्री महेन्द्र सिंह,** प्रस्ताव करेंगे कि:

"हिमाचल पथ परिवहन निगम की भर्ती प्रक्रिया की नीति पर सदन विचार करे"

धर्मशाला-176215 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक: 9 दिसम्बर, 2014 **सचिव ।**

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)
(विधेयक पर स्वीकृत संशोधन भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

सप्तम् सत्र

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर(संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 11) जोकि दिनांक 10 दिसम्बर , 2014 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है पर स्वीकृत संशोधन की सूची:-

पृष्ठ	खण्ड	उप-खण्ड	पंक्तियां	प्रस्तावित संशोधन
1.	**2**	(क)	7-16	विधेयक के उप-खण्ड(क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड रखा जाएगा, अर्थातः- (क) विद्यमान उपधारा(5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थातः- "(5) यदि किसी व्यौहारी को, उस द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी विवरणी में, किसी लोप या अन्य गलती का पता चलता है तो वह,- (i) मासिक और त्रैमासिक विवरणी की दशा में, आगामी विवरणी को दाखिल करने के लिए विहित तारीख से पूर्व संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा, और (ii) वार्षिक विवरणी की दशा में, वार्षिक विवरणी को दाखिल करने के लिए विहित की गई अंतिम तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा, और यदि संशोधित विवरणी में दर्शाए गए देय कर की रकम, मूल विवरणी में दर्शाए गए कर की रकम से अधिक है, तो उसके साथ साथ उपधारा(4) के अनुसार अतिरिक्त रकम के संदाय को दर्शाने वाली रसीद संलग्न करनी होगी ।"
Page	**Clause**	**Sub- clause**	**Lines**	**Proposed Amendment**
1	2	(a)	(7-15)	For sub-clause (a) of the Bill, the following sub- clause shall be substituted, namely:- " (a) for existing sub- section(5), the following sub-section shall be substituted, namely:- " (5) If any dealer discovers any omission or other error in any return furnished by him, he may, - (i) in the case of monthly and quarterly return, furnish a revised return before the date prescribed for filing of next return, and (ii) in the case of annual return, furnish a revised return within a period of sixty days from the last date prescribed for filing of annual return, and if the revised return shows a greater amount of tax to be due against the tax shown in the original return, it shall be accompanied with a receipt showing payment of extra amount in accordance with sub-section(4).".

धर्मशाला-176215
दिनांक: 9 दिसम्बर, 2014

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।